झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

का.आ.:–8 / ज.स.(नि.) कोर्टकेश–16 / 2009(पार्ट):– रांची दिनांकः–.....

आदेश

श्री विश्वनाथ प्रसाद, तदेन कनीय अभियंता, नलकूप प्रमण्डल के दरभंगा, आरा एवं बक्सर में पदस्थपन दौरान उनके जिम्मे लंबित अस्थायी अग्रिम रू॰ 7,93,647.00 की वसूली हेतु लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना द्वारा इस विभाग को संसूचित निर्णय के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा मा॰ उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रॉची में याचिका सं॰ 6339 / 06 दायर की गई।

2. उक्त याचिका में मा॰ उच्च न्यायालय झारखण्ड, रॉची द्वारा पारित न्याय निर्णय में वादी को अपना आवेदन सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उस आवेदन पर वादी को अपने बचाव का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए सचिव, जल संसाधन विभाग को नियमानुसार समुचित आदेश पारित करने का आदेश दिया गया।

3. उपर्युक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में वादी श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अभ्यावेदन की समीक्षा की गई एवं इस पर लघु सिंचाई विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य / प्रतिवेदन की मांग की गई।

4. लघु सिंचाई विभाग, बिहार पटना से प्राप्त मंतव्य / प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत विभागीय आदेश ज्ञापांक 3035 दिनांक 19.11.2008 द्वारा विश्वनाथ प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता से रूपये 5,05,680.00 (पॉच लाख पॉच हजार छः सौ अस्सी रूपये मात्र) की वसूली का निर्णय संसूचित किया गया। इस आदेश के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, घाटशिला के पत्रांक 433 दिनांक 05.06.2009 द्वारा राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की गई।

5. इस आदेश के विरूद्ध श्री विश्वनाथ प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, रॉची में वाद W.P(S) No-3587/2009 दायर किया गया एवं माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2016 को इस वाद में न्याय निर्णय पारित किया गया। पारित न्याय निर्णय का मुख्य कार्यकारी अंश निम्न प्रकार हैः–

> " .....The aforesaid judicial Pronouncement makes it abundantly clear that the State was precluded from taking steps for recovery of the amount of Rs 5,05,680/- from the retiral dues of the petitioner without initiating any proceeding under Section 43 (b) of the Pension Rules.
>
> In such circumstances, the impugned order as contained in memo No-3035 dated 19.11.08 passed by the respondent no 2 as well as the order contained in memo No- 433 dated 05.06.09 by which a direction had been issued to recover the amount being not in accordonce with law is, hereby, quashed and set aside.
>
> It is further directed that if the amount in question has already been recovered from the provisional gratuity and the leave encashment of the petitioner the same shall be refunded back to the petitioner immediately and forthwrith preferably within a period of four weeks from the date of receipt/ production of a copy of this order."
>
> This writ appilication stands dicposed of.

6. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्याय निर्णय के विरूद्ध विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड के माध्यम से L.P.A दायर करने का विभाग द्वारा निर्णय लिया गया एवं L.P.A दायर करने संबंधी कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विधि (न्याय) विभाग को प्रेषित किया गया। विधि (न्याय) विभाग द्वारा कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विद्वान महाधिवक्ता को भेजी गयी। विद्वान

महाधिवक्ता, झारखण्ड द्वारा निम्नलिखित मंतव्य के साथ L.P.A दायर करना उचित नहीं माना गयाः—

> " ....in my considered view, taking into account the provision of Bihar Pension Rule specifically, Rule 43 (b) and also taking into account the fact that all the points sought to be taken in the L.P.A has already been pleaded in the writ application and the settled legal position on the issiue at hand by the Hon'ble Apex court, it would be futile exercise to file L.P.A in the present case and taking into account the state litigation policy as well as the law settled by the Hon'ble Apex court, filing of an L .P.A on this point may invite a cost on the state "

7. अतएव विधि (न्याय) विभाग के माध्यम से प्राप्त विद्वान महाधिवक्ता के उपर्युक्त मंतव्य एवं माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.04.2016 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक 3035 दिनांक 19.11.08 एवं कार्यपालक अभियंता सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, घाटशिला के पत्रांक 433 दिनांक 05.06.09 को एतद निरस्त किया जाता है।

8. श्री विश्वनाथ प्रसाद तदेन कनीय अभियंता, संप्रति सेवानिवृत से उक्त दण्डादेश के आलोक में वसूली की गई राशि की भुगतान संबंधी कार्रवाई कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, घाटशिला द्वारा की जायगी।

9. उपर्युक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

10 इस आदेश की एक प्रति वादी को भी प्राप्त करायी जाय।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांकः— रॉची दिनांकः—

प्रतिलिपिः— मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, चाण्डिल कम्पलेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर / कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, घाटशिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांकः— रॉची दिनांकः—

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव,

ज्ञापांकः— 1128 रॉची दिनांकः— 01-03-17

प्रतिलिपिः— अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा—3, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची / बेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव,